अपील सूचना अधिकार संख्या 153/2020 (GCMS 2020/00270) श्री उम्मेद सिंह निवासी वार्ड नं 1, अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर मो. 9983513750 बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलक्टर, अनूपगढ़

25.10.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 16.06.2020 से लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलक्टर, अनूपगढ से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो उसे निर्धारित समयावधि बीत जाने के बाद भी प्राप्त नहीं होने के कारण उसने यह अपील दिनांक 19.11.2020 को इस कार्यालय में पेश की है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 16.06.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी:

> श्रीमानजी आपको सहायक अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, अनूपगढ द्वारा एक पत्र क्रमांक 56–58 दिनांक 16.06.2020 को आर.सी.पी. कॉलोनी अनूपगढ के गोदाम एवं राजकीय आवास IV-16 पर अवैध रूप से काबिज बी.एस.एन.एल. के सेवानिवृत कर्मचारी श्री हरि सिंह पुत्र चरण सिह को बेदखन करने बाबत भेजा गया था। इस संदर्भ में आपके द्वारा की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:25:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ ने अपने पत्रांक प.25(क)/सूकाअ/19/2913 दिनांक 01.01.2021 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके आवेदन दिनांक 03.10.2020 के क्रम में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि इस पत्र के साथ संलग्न कर भिजवायी जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

-sd-
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना की प्रमाणित प्रति उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ ने दिनांक 01.01.2021 को अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है, इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निष्प्रभावी हो गई है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है और **आदेश की प्रति** उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ को **पालनार्थ** एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 25.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जाकिर हुसैन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:25:16 IST
Reason: SelfAttested